

निगम आयुक्त श्री के0एल0 चौहान के निर्देश पर निगम क्षेत्र में खुले में बिक रहे मांस, मछली, मटन एवं सड़े-गले खाद्य सामग्री जब्त कर विनिष्टिकरण की कार्यवाही जारी

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त श्री के. एल. चौहान ने बारिश के मौसम को देखते हुए सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत खुले में चिकन, मटन, मछली, फल एवं बासी खाद्य सामग्री के विक्रय कर व्यवसाय करने वाले लोगों पर पूर्ण रूप से रोक लगाने एवं प्रतिबंधित केरी बेग की जब्ती की कार्यवाही किये जाने के निर्देशानुसार जोन-01 नेहरू नगर कार्यालय के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा वार्ड में अवैध रूप से खुले में व्यवसाय कर रहे व्यवसायियों के यहाँ आकस्मिक निरीक्षण करते हुए जब्ती की कार्यवाही के साथ-साथ चेतवानी भी दी गई।

जनसम्पर्क अधिकारी

